



# राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निधारण प्राधिकरण, म.प्र.

(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)

पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन

पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी

भोपाल-462016 (म.प्र.)

वेबसाइट- <http://www.mpseiaa.nic.in>

दूरभाष नं. - 0755-2466970, 2466859

फैक्स नं. - 0755-2462136

No: 1555  
Date: 8/9/22

SEIAA/2022

To,

**M/s Mahakaushal Sugar & Power Ind. Ltd,**  
149, 151, 165, 168, Village - Bahai, Tehsil - Narsinghpur,  
Dist. Narsinghpur (MP)

**Sub:- Case No. - 6727/2020** : Prior Environment Clearance for Expansion of Sugar Industry from 4,500 to 8,000 TCD, at Khasra no. 149, 151, 165, 168, at Village - Bachai, Tehsil - Narsinghpur, Dist. Narsinghpur (MP) by M/s Mahakaushal Sugar & Power Ind. Ltd, 149, 151, 165, 168, Village - Bahai, Tehsil - Narsinghpur, Dist. Narsinghpur (MP).

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निधारण प्राधिकरण की 744वीं बैठक दिनांक 30.08.2022 को निम्नानुसार निर्णय लिया गया ....


राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 589वीं बैठक दिनांक 17.08.2022 में उक्त प्रकरण में निम्नलिखित निर्णय लिया गया:-

.....प्रकरण सेक की 587वीं बैठक दिनांक 02/08/22 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किंतु परियोजना प्रस्तावक एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार ऑन लाईन/ऑफ लाईन प्रस्तुतीकरण हेतु समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए हैं। अतः समिति ने निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु अंतिम अवसर देते हुए प्रकरण आगामी बैठक में रखा जाये तथा यदि फिर भी परियोजना प्रस्तावक अनुपस्थित रहते हैं तो इस प्रकरण निरस्त (डिलिस्ट) करते एसईआईए को अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजा जायें।

प्रकरण आज बैठक क्रमांक 589वीं दिनांक 17/08/22 एवं पूर्व में 587वीं बैठक दिनांक 02/08/22 प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किंतु परियोजना प्रस्तावक प्रस्तुतीकरण हेतु समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए हैं। समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को 02 प्रस्तुतीकरण के अवसर दिये जाने के बाद भी परियोजना प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित नहीं हुए, जिससे स्पष्ट होता है कि परियोजना प्रस्तावक इस प्रोजेक्ट में पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी कार्यवाही करने में रुचि नहीं ली जा रही है तथा अनावश्यक रूप से प्रकरण को लम्बित रखा जा रहा है। अतः इस प्रकरण को नस्तीबद्ध (Delist) करते हुए सिया को आगामी कार्यवाही हेतु भेजा जाना अनुशंसित है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निधारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत 589वीं बैठक दिनांक 17.08.2022 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण को Delist किया जाता है। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जायें।

उपरोक्तानुसार आपको सूचित किया जाता है कि प्राधिकरण द्वारा आपके प्रकरण को Delist करने का निर्णय लिया गया है।


  
(श्रीमन् शुक्ला)  
सदस्य सचिव

Endt No. 1555 / SEIAA/ 22

Date 8/9/22

Copy to:-

- (1). Principal Secretary, Department of Environment, Government of Madhya Pradesh, Mantralaya, Bhopal.
- (2). Member Secretary, SEAC, Research and Development Wing Madhya Pradesh Pollution Control Board, Paryavaran Parisar, E-5, Arera Colony Bhopal-462016.
- (3). Member Secretary, MPPCB, Paryavaran Parisar, E-5, Arera Colony, Bhopal-462016.
- (4). The Collector, District Narsinghpur -M.P.
- (5). Director, I.A. Division, Monitoring Cell, MoEF, GoI, Ministry of Environment & Forest Indira Paryavaran Bhawan, Jor Bagh Road, New Delhi - 110 003
- (6). Director (S), Regional office of the MOEF, (Western Region), Kendriya Paryavaran Bhawan, Link Road No. 3, Ravi Shankar Nagar, Bhopal-462016.
- (7). Guard file

  
सदस्य सचिव